

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा**  
**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**  
**आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से**

**आ.अ.सं. 50/ इंदौर /2021**

**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

आयकर अधिकारी 4 (3), इंदौर	बनाम	श्रीमती उर्मिला बाई हार्डिया, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- बीजीएसपीबी 4689 पी		
राजस्व की ओर से		श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
अपीलार्थी की ओर से		सर्वश्री मनजीत सचदेवा तथा अविनाश गौर, प्राधिकृत प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि		12.11.2021
उद्घोषणा तिथि		06.12.2021

**आदेश**

**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित राजस्व द्वारा दाखिल यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 23.09.2020 के विरुद्ध निदेशित है। यह अपील 84 दिनों से कालबाधित है। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया कि वैश्विक महामारी कोविड 19-के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति के कारण राजस्व समय पर अपील दाखिल नहीं कर पाया। अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है। हमने पाया कि अपील दाखिल करने में

विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि इस अपील में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग को यह अपील दाखिल नहीं करना चाहिए थी ।

3. दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण सीबीडीटी के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के परिच्छेद 10(सी) के अपवाद खंड के अधीन आवृत्त है क्योंकि इस प्रकरण में ऑडिट आपत्ति अंतर्गस्त है । अतः यह विभागीय अपील न्यून कर प्रभाव के कारण खारिज किए जाने योग्य नहीं है । यद्यपि, राजस्व के इस दावे के प्रत्युत्तर में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि राजस्व द्वारा न तो यह बताया गया है कि उक्त ऑडिट आपत्ति विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी और न ही इस संबंध में राजस्व द्वारा संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है ।

4. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है । हमने पाया कि राजस्व द्वारा ऑडिट आपत्ति के संबंध में दी गई दलील में बल नहीं है क्योंकि **माननीय अधिकारिता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयकर अधिकारी बनाम मे. कृष्णा वेयरहाउस (2021) 40 आईटीजे 389 (मप्र)** प्रकरण में यह अभिधारित करते हुए राजस्व की अपील को न्यून कर प्रभाव के कारण खारिज किया था कि राजस्व द्वारा न तो यह बताया गया है कि उक्त ऑडिट आपत्ति विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी और न ही इस संबंध में राजस्व द्वारा संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है । हमने पाया कि वर्तमान प्रकरण में राजस्व द्वारा न तो यह बताया गया है कि उक्त ऑडिट आपत्ति

विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी और न ही इस संबंध में राजस्व द्वारा संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है । अतः हम माननीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का अनुसरण करते हुए राजस्व की इस दलील को खारिज करते हैं ।

5. हमने पाया कि वर्तमान प्रकरण में विवादाधीन मुद्दों में कर प्रभाव रु. 50 लाख से अधिक नहीं है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा 20 लाख थी जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा संशोधित कर रु. 50 लाख कर दिया गया है तथा पूर्व परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के परिच्छेद सं. 5 की विसंगति को हटाया गया है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रु. 50 लाख से अधिक नहीं है । इस संबंध में “कर प्रभाव” का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरुद्ध अपील दाखिल करना आशयित है, को घटाया गया होता । यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है ।

6. इसके अतिरिक्त हमने पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 13, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा ।

“ यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा और यह भूतलक्षी रूप से लंबित एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा । ऊपर परिच्छेद 3

में विनिर्दिष्ट कर सीमा के नीचे की लंबित अपील को वापिस लिया जाए/ दबाव नहीं डाला जाए । ”

7. अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते हैं क्योंकि हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198 (एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ इंकम टैक्स बनाम एस.आर.एम.बी डेयरी फार्मिंग (प्रा) लि. के प्रकरण में सिविल अपील सं. 19650/2017 में राजस्व की अपील खारिज करते समय आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-III बनाम सूर्या हर्बल्स लि. के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश न्यायपीठ निर्णय का अनुसरण किया है और अभिधारित किया है कि परिपत्र लंबित मामलों पर भी लागू होगा । तदनुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते हैं ।

8. परिणामतः, राजस्व की अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 06.12.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(राजपाल यादव)  
उपाध्यक्ष

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 06.12.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल